



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 440) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

11 मार्च 2021

सं0 5 न0वि0/गठन-22/2020-1249/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नवादा जिला के निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् नवादा का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4346 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् नवादा का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना नं0	थाना संख्या	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् नवादा	नवादा उर्फ गोनावॉ-367 बुधौल-375 भदौनी-378 गेंदापुर-376 अकौना नेजामत-369 अकौना मिन्हाई-370 केन्दुआ-368	गोनावॉ, भदौनी, देदौर, जमुआवा, पटवासरा य, ननौरा, फरहा एवं बड़ैल	उत्तर- पथरा इंग्लिश-372, भरोशा-371, उड़सा-450, आंती-452, दक्षिण- जसौली-388, दरियापुर-383, बुधौली-382, वरेब-352, पूरब-जमुआवाँ पटवासराय-364, अषाढी-365, खुटौनी-363,	81458

	देदौर-373 अनन्तपुर-366 सिंहेश्वरपुर-361 नरौरा-358 साहेबचक-362 फरहा-381 मस्तानगंज-357 बेला-385 महानन्दपुर-386 करनपुर-379 जलालपुर-384	(सभी पूर्ण भाग)	कुरमा-359, मोहीउद्दीनपुर-356 पश्चिम-बडैल-389, घंघौली-399 जेइसन बिगहा-398, लोहड़ा-374, तेतरिया-405	
--	---	--------------------	--	--

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद नवादा कहा जायेगा।

3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 440-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>